



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-269997
CG-DL-E-10022026-269997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 583]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 613(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1972 तारीख 01/05/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH 709 A के कि.मी. 26.65 से कि.मी.90 (मेरठ से हरियाणा बॉर्डर वाया शामली खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17.05.2025 " को "हिन्दुस्तान" और "दी टाइम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH 709 A के कि.मी. 26.65 से कि.मी. 90 (मेरठ से हरियाणा बॉर्डर वाया शामली खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: शामली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शामली					
गांव का नाम: बहदेव उर्फ कन्दु खेडा					
1	1271/2	निजी (कृषि)	कृषि	0.0711	रामकिशन/धर्मा
2	1287	निजी (कृषि)	कृषि	0.0278	शारदा मालिक/ कुशलपाल मालिक
3	1288	निजी (कृषि)	कृषि	0.0402	ब्रह्म सिंह/प्रभू
4	1292	निजी (कृषि)	कृषि	0.0492	इन्द्र सिंह/किरत सिंह, योगेन्द्र कुमार / महेन्द्र, विनोद कुमार / महेन्द्र
5	1293	निजी (कृषि)	कृषि	0.0552	तेजपाल/रतन सिंह, भंवरकली/स्व० रतन सिंह हरपाल सिंह/रतन सिंह
गांव का नाम: मुन्डेठ					
6	11	निजी (कृषि)	कृषि	0.0684	अभिषेक / रामनाथ, प्रमोद/चन्दर, मुन्नी/रामनाथ, विकुल/रामनाथ, सोहनपाल/चन्दर
7	16	निजी (कृषि)	कृषि	0.008	प्रेमचन्द/जीवन सिंह
8	17	निजी (कृषि)	कृषि	0.0281	प्रेमचन्द सैनी/जीवन , मौ० रामसागर

					मुन्नीलाल सैनी / हरवंश सैनी
9	19	निजी (कृषि)	कृषि	0.0062	ओमवती/नर सिंह, बिजेन्द्र/नर सिंह
10	3	निजी (कृषि)	कृषि	0.0184	अजब सिंह/ लक्ष्मण सिंह, अरविन्द / कन्हैया लाल , अंश/लक्ष्मण सिंह
11	4	निजी (कृषि)	कृषि	0.0412	देवी सिंह/सुरता, सुखपाल सिंह/सुरता, शीला देवी/रतनलाल
12	41	निजी (कृषि)	कृषि	0.0054	सहत्सर पाल/संगत
13	8	निजी (कृषि)	कृषि	0.0292	अजय कुमार / रमेशपाल, बीरमति / रमेशपाल , मनीष कुमार / रमेशपाल
Total				0.4484	

[फा. सं. NHAI/PIU-BPT/1011(K-S-M)/2018/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 613(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1972 Dated:01/05/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 709 A in the stretch of land from Km. 26.65 to Km. 90 (Meerut to Haryana Border via Shamli Section) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and “The Times of India” both dated 17.05.2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 709 A in the stretch of land from Km. 26.65 to Km. 90 (Meerut to Haryana Border via Shamli Section) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SHAMLI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shamli					
Village: Bahdev urf Kandu Khera					
1	1271/2	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0711	Ramkishan/ Dharma
2	1287	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0278	Sharda Malik/ Kushalpal Malik
3	1288	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0402	Brahm Singh/ Prabhu
4	1292	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0492	Indra Singh/ Kirat Singh, Yogendra Kumar/ Mahendra, Vinod Kumar/ Mahendra
5	1293	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0552	Tejpal/ Ratan Singh, Bhanwarkali/ Late Ratan Singh Harpal Singh/Ratan Singh
Village: Mundet					
6	11	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0684	Abhishek/ Ramnath, Pramod/ Chander, Munni/ Ramnath, Vikul/ Ramnath, Sohanpal/ Chander
7	16	Private (Agriculture)	Agriculture	0.008	Premchand/ Jeevan Singh
8	17	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0281	Premchand Saini/ Jeevan, Md. Ramsagar Munnial Saini/ Harvansh Saini
9	19	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0062	Omvati/ Nar Singh, Bijendra/ Nar Singh
10	3	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0184	Ajab Singh/ Laxman Singh, Arvind/ Kanhaiya Lal , Ansh/ Laxman Singh
11	4	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0412	Devi Singh/ Surta,

		Agriculture)			Sukhpal Singh/ Surta, Sheela Devi/ Ratanlal
12	41	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0054	Sahansar Pal/ Sangat
13	8	Private (Agriculture)	Agriculture	0.0292	Ajay Kumar/ Rameshpal, Birmati/ Rameshpal , Manish Kumar/ Rameshpal
Total				0.4484	

[F. No. NHAI/PIU-BPT/1011(K-S-M)/2018/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director